

# कार्यालय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, अजमेर संभाग अजमेर

शिक्षा संकुल तोपदडा अजमेर

e-mail - ddsecajmer@gmail.com

Tel. - 0145-2621991

## कार्यालय आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा द्वितीय वेतन श्रृंखला वरिष्ठ अध्यापक (संस्कृत विषय) पद हेतु भर्ती परीक्षा 2016 में चयनित निम्न अभ्यर्थियों को निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर के पत्रांक शिविरा/माध्य/संस्था/एफ-1/12102/सी.भ./व.अ.-सा.विज्ञान/2016 दिनांक 06.11.2018 द्वारा नियुक्ति प्रदान करने हेतु इस कार्यालय को आवंटित किये गए अभ्यर्थियों के पदस्थापन हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश परिपत्र क्रमांक प.17(7) शिक्षा-2/2016 जयपुर दिनांक 04.03.2018 तथा निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्रांक शिविरा/माध्य/संस्था/एफ-1/12102/सी.भ./व.अ.-सा.विज्ञान/2016 दिनांक 06.11.2018 के अनुसरण में दिनांक 14.11.2018 को आयोजित परामर्श कैंम्प में उपस्थित होकर पदस्थापन हेतु विकल्प प्रस्तुत करने पर संलग्न सूची में अंकित आशार्थियों को द्वितीय वेतन श्रृंखला वरिष्ठ अध्यापक (संस्कृत विषय) के पद पर उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में रिक्त पद पर राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम-2017 के अनुसार लेवल-11 में प्रोबेशनर ट्रेनी (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) के रूप में दो वर्ष के प्रोबेशन पर नियमानुसार देय नियत मानदेय रुपये 26500/- प्रतिमाह (पूर्व से सेवारत होने की स्थिति में विद्यमान वेतन) पर निम्नानुसार नियुक्ति पर पदस्थापन किया जाता है।

1. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशनर ट्रेनी) की अवधि में नियत मानदेय के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते यथा महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, महंगाई वेतन, विशेष वेतन, बोनस आदि देय नहीं होंगे।
2. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में इन्हें कलेण्डर वर्ष में केवल 15 दिन का आकस्मिक अवकाश ही देय होगा। (वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.12(9)एफ.डी.(रूल्स)2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017)
3. वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.12(9)एफ.डी.(रूल्स)2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 के अनुसार प्रोबेशनर ट्रेनी के फिक्स रैमुनेरेशन से नवीन पेशन अंशदान की कटौती नियमानुसार होगी।
4. चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति आदेश प्रसारित विज्ञप्ति वरिष्ठ अध्यापक (विभिन्न विषय) प्रतियोगी परीक्षा 2016 के प्रकरण में माननीय न्यायालय में दायर विभिन्न याचिकाओं के निर्णय के अधधीन रहेंगे।

- सम्बन्धित संस्था प्रधान इनको कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रूप से सम्पादित करेंगे :-
5. अनावश्यक लाभ रोकने के उद्देश्य से आवेदन पत्र एवं नियुक्ति पत्र पर अंकित फोटो से कार्यग्रहण करने वाले अभ्यर्थी से मिलान कर लें और यह सुनिश्चित कर लें कि जिस अभ्यर्थी ने आयोग की परीक्षा दी है, वही अभ्यर्थी नौकरी पर कार्यग्रहण करे।
  6. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार सम्बन्धित अभ्यर्थी का संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र सम्बन्धी सदाचरण रिपोर्ट एवं रक्षक चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा, इनके अभाव में किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति पर कार्यग्रहण नहीं करवाया जाये। पूर्व से राजकीय सेवा में सेवारत कार्मिकों हेतु यह आवश्यक नहीं होगा।
  7. कार्यग्रहण कराने से पूर्व आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों का मिलान मूल दस्तावेजों से कर सही पाये जाने पर ही कार्यग्रहण करावें। मिलान में यदि कोई भिन्न स्थिति पाई जावे तो कार्यग्रहण नहीं कराया जावे तथा उसके संबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित इस कार्यालय को तत्काल सूचना भिजवाई जावे।
  8. विधानसभा आम चुनाव आचार संहिता में शिथिलन के संबंध में निर्वाचन विभाग राजस्थान के पत्रांक एफ 3(1)(9)/Elect/2018/6995 दिनांक - 08.10.2018 के गठित स्क्रिनिंग समिति से अनुमति प्रदान किये जाने एवं सामान्य प्रशासन विभाग की आइ.डी. संख्या 3697/पीएस/जीएडी/18 दिनांक - 23.10.2018 के द्वारा प्रदत्त सहमति के आधार पर की गई है।
  9. कार्यग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी से उनकी पात्रता, आयु एवं आरक्षण सम्बन्धी समस्त दस्तावेजों की जांच आवश्यक रूप से कर लें।
  10. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी से यह शपथ पत्र लें कि उसके द्वारा प्रस्तुत सूचनाएं एवं दस्तावेज सही हैं, इनके त्रुटिपूर्ण, जाली अथवा कूटरचित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा। (प्रारूप संलग्न)
  11. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक 7(1)डीओपी/ए-11/95 दिनांक 06.04.2003 के अनुसार सम्बन्धित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात उत्पन्न सन्तानों के फलस्वरूप कुल सन्तानों की संख्या दो से अधिक नहीं होने सम्बन्धी आशय का आवश्यक शपथ पत्र 10/- रु. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे। (प्रारूप संलग्न)


# कार्यालय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, अजमेर संभाग अजमेर

शिक्षा संकुल तोपदडा अजमेर

e-mail – ddsecajmer@gmail.com

Tel. - 0145-2621991

12. विवाहित अभ्यर्थियों के मामले में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र अथवा यदि विवाह, विवाह पंजीयन अनिवार्य करने संबंधी प्रावधान लागू होने से पूर्व हुआ है तो तत्संबंधी आशय का 10 रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त कर लिया जावे।
13. आवेदक द्वारा दहेज नहीं लिये जाने का स्व घोषणा पत्र प्राप्त किया जाए। (प्रारूप संलग्न)
14. राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताओं की वैधता सम्बन्धी जांच विभाग स्तर पर करवाई जानी शेष है, अतः जिन अभ्यर्थियों द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओं से शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित की गई है, उन्हें यह नियुक्ति राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य पाए जाने के अध्यक्षीन प्रदान की जा रही है। अतः कार्यग्रहण कराने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थियों से 10/- रु. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त करेंगे कि यदि इनके द्वारा राज्य से बाहर अर्जित की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य नहीं पाई गई तो उन्हें प्रदत्त यह नियुक्ति निरस्त करने एवं उनके विरुद्ध कार्यवाही करने सम्बन्धी अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। ऐसी स्थिति में यह नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी। (प्रारूप संलग्न)
15. कार्यग्रहण कराने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.7(3) कार्मिक/क-2/06 पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धूम्रपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने संबंधी वचनबद्धता (Undertaking) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त की जावे। (प्रारूप संलग्न)  
इन्हें उक्त नियुक्ति पर दिये गये पदस्थापित स्थान पर दिनांक 21.11.2018 तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा, उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने पर यह आदेश स्वतः की निरस्त माना जावेगा। संबंधित संस्था प्रधान इनके कार्यग्रहण की सूचना तत्काल इस कार्यालय को भिजवाने की व्यवस्था की जावे।

  
संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा  
अजमेर संभाग, अजमेर

क्रमांक : सनि/स्कूल शिक्षा/ अज/संस्था-4/फा-सी.भ.व.अ संस्कृत 2016/2018/ 5236 दिनांक : 14-11-2018

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर
3. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर
4. शासन उप सचिव, कार्मिक (क-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
6. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
7. जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय (माध्यमिक) अजमेर/भीलवाडा को संबंधित के मूल आवेदन पत्र सहित प्रेषित कर लेख है कि मूल आवेदन पत्र आज ही संबंधित विद्यालयों को भिजवाए जाने की व्यवस्था किया जाना सुनिश्चित करें।
8. सम्बन्धित संस्था प्रधान/ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, को प्रेषित कर लेख है कि मूल आवेदन पत्र आपके परिक्षेत्र के जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक को प्रेषित किए जा चुके हैं, आपसी समन्वय से आवेदन पत्र प्राप्त कर लेवे।
9. सम्बन्धित आशार्थी (पंजीकृत डाक द्वारा)
10. नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा।
11. विभागीय वेबसाइट [rajrmsa.nic.in](http://rajrmsa.nic.in) पर प्रकाशनार्थ
12. रक्षित पत्रावली




  
संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा  
अजमेर संभाग, अजमेर

**कार्यालय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, अजमेर संभाग, अजमेर**

वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2016 के विषय संस्कृत के चयन वर्गवार एवं मेरिट वार मण्डल आवंटन सूची

कमांक: सनि / स्कूल शिक्षा / अज / संस्था-4 / फा-सीमवअ संस्कृत / 2016 / 2018 / 5236

दिनांक: 14.11.2018

क. सं.	अभ्यर्थी का छायाचित्र	मेरिट संख्या	अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	जन्म दिनांक	पता	वर्ग	चयन वर्ग	पदस्थापन स्थान
1		3074	DEEPIKA SALVI	NARAYAN LAL SALVI	10/08/1982	SALVI MOHALLA JAWAD, DHOINDA, RAJSAMAND, JAWAD, RAJSAMAND, RAJASTHAN	SC, WE, DV	SCF WD	GOVT. GIRLS SEC. SCHOOL KARERA, MANDAL, BHILWARA
2		3078	RAJNI MEENA	KISHOR RAM MEENA	16/05/1987	B-196, MALVIYA NAGAR ALWAR RAJASTHAN	ST, WE, DV	STF WD	GOVT. SEC. SCHOOL DHER KI DHANI, KISHANGARH, AJMER
3		3159	MAMTA	RATAN LAL	06/08/1987	NEAR SHANTI TEMPLE NEW BUS STAND, MASUDA, AJMER, RAJASTHAN	SC, WE, DV	SCF WD	GOVT. HR. SEC. SCHOOL SINODIYA, KISHANGARH, AJMER

*(जीवराज ज्ञाट)*

संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा  
अजमेर संभाग, अजमेर